प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

आवंटन,
आयोजनागत–अनुदान सं0–83
तेरह अंको का कोड–2515007890401

सेवा मे,

जिला पंचायत राज अधिकारी,
फिरोजाबाद।

संख्या– 1/319/2011–1/28/2011 : लखनऊः दिनांक– 08 जून, 2011

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में सफाई कर्मचारियों के वेतनादि के भुगतान हेतु अनुदान संख्या–83 के अधीन लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–आयोजनागत –789–अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना– 04– पंचायतीराज संस्थायें–0401–सफाई कर्मचारी अधिष्ठान के अन्तर्गत व्ययं हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक विशेष सचिव, बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–382/26–ब0प्र0–2011–100 (9)/2011, दिनांक– 19 अप्रैल, 2011 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में सफाई कर्मचारियों के अधिष्ठान में व्यय हेतु आवश्यक धनराशि संलग्न तालिका के अनुसार ₹ **21286388/– (₹ दो करोड़ बारह लाख छियासी हजार तीन सौ अठासी मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन आवंटित की जाती है:–

जनपद का नाम	01–वेतन	03–मंहगाई भत्ता	06–अन्य भत्ता	08–कार्यालय व्यय	19–विज्ञापन एवं विख्यापन व्यय	49–चिकित्सा व्यय	योग	कोषागार का प्रगामी योग
फिरोजाबाद	13759200	6191640	1238328	55555	13888	27777	21286388	21286388

(₹ दो करोड़ बारह लाख छियासी हजार तीन सौ अठासी मात्र)

1– उक्त आवंटित धनराशि का व्यय केवल अनुसूचित जाति के सफाई कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए किया जायेगा। इससे इतर व्यय के लिए आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होगें, धनराशि व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–901/दस–2011–231/11 दिनांक 21 मार्च, 2011 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उक्त धनराशि का व्यय एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए योजना आयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशो के अनुसार किया जायेगा। उक्त व्यय का विवरण बी0एम0–4 सूचना नियमित भेजी जायेगी।

3– आवंटित धनराशि का व्यय किसी ऐसे मद में कदापि न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति आवश्यक है। ऐसे व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्ति करने के उपरान्त ही किया जाये। आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एंव अधिक व्यय कदापि न किया जाय। व्यय आवंटित धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। किसी प्रकार के अधिक व्यय के लिये अथवा अनाधिकृत व्यय के लिये आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें। बजट की किसी भी ऐसी प्राथमिक इकाईयां लेखाशीर्षक के सापेक्ष व्यय न किया जाये जिसके लिये बजट में प्राविधान नहीं है।

3– सामान्यतः बिना निदेशालय की अनुमति प्राप्त किये कोषागार नियम 27 से कोई आहरण न किया जाये।

4– कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह बी0एम0–4 में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये। इस विवरण में कोषागार वाउचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।

5– आहरण वितरण अधिकारी को बजट अगली बार तभी आवंटित किया जायेगा जब उपयुर्क्तानुसार बी0एम0–4 पर सूचना तथा अतिरिक्त बजट का औचित्य प्राप्त हो जाये।

6– यदि बी0एम0–4 पर सूचना नियमित एवं समयवद्ध रूप से नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी जिम्मेदार होगा।

7– यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जाती है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण–पत्र नोट कराना आवश्यक होगा। धनराशि समर्पित करते समय पर्याप्त औचित्य अवश्य अंकित करें अन्यथा समर्पण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8— एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

9— यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उपमुख्य, लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये। ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो तथा प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य अंकित किया जाये जिसके लिये रबर की मोहर अधिक श्रेयष्कर होगी।यह भी सुनिश्चत किया जाये कि धनराशियों का व्यय प्रतिमाह कुल धनराशि का 1/12 भाग ही हो। यदि किसी माह में 1/12 भाग से अधिक की धनराशि के व्यय का औचित्य पाया जाय तो उस धनराशि के व्यय करने से पूर्व शासन की अनुमति प्राप्त की जायेगी।

10— शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा शासनादेश संख्या—सीए—934/दस—2008—मित—1/2007 दिनांक 3—9—2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

11— उपयुर्क्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या—83 के अधीन लेखाशीर्षक —2515—अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम—आयोजनागत —789—अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना— 04— पंचायतीराज संस्थायें—0401—सफाई कर्मचारी के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

12— संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि व्यय का लेखा जोखा रखेंगें तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक इस कार्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

1— कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0—4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेंन्ट आगामी माह की 5 तारीख तक।

2— प्रारम्भिक व्ययाधिक्य तथा बचत विवरण दिनांक 30—9—2011 तक

3— व्ययाधिक्य तथा बचत का अन्तिम विवरण दिनांक 15—1—2012 तक

4— वर्ष 2011—12 में समर्पण यदि कोई हो तो की सूचना दिनांक 5—2—2012 तक

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ स0—53 पर अंकित है।

भवदीय,

(डी0एस0 श्रीवास्तव)
निदेशक,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1/319/2011 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश।
2— अनुसचिव, पंचायती राज अनुभाग—3,उत्तर प्रदेश शासन।
3—उपसचिव वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग—2 उ0प्र0शासन।
4—महालेखाकार सी0पी0 सी0—2 उ0प्र0इलाहाबाद।
5—महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0इलाहाबाद।
6—वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15—ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 इलाहाबाद।
7—विशेष सचिव बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
8—मण्डलीय उप निदेशक (पं0), आगरा मण्डल आगरा।
9—उप निदेशक (पं0), पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
10—तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

(रमेश चन्द्र राय)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।